कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in , **Phone/ Fax no:**-01368-222215

पत्रॉकः– 5168 / 12-1 : दिनॉकः पौड़ी, माह, मई, 28 2025

सेवा में,

कमाण्डेण्ट,
जिला प्रशिक्षण केन्द्र होमगार्डस,
श्रीकोट गंगानाली (श्रीनगर गढ़वाल)।

कार्या0 कमाण्डेण्ट जिला प्रशिक्षण केन्द्र होमगार्डस श्रीनगर (गढ़वाल) पौड़ी सं0 137 दिनांक 17/06/25

विषयः– **जनपद पौड़ी गढ़वाल में होमगार्डस स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण हेतु परेड ग्राउण्ड के निर्माण हेतु 0.812 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु जिला प्रशिक्षण केन्द्र होमगार्डस को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः– आपकी पत्र सं0 सी–डीटीसी / एक–30 / होगा / 2025–26 / 57, दिनांक 22–05–2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि विषयगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं0–8बी / यू0सी0पी0 / 09 / 198 / 2019 / एफ0सी0 / 1004, दिनॉक 19–08–2020 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है जिसके कम में इस कार्यालय की पत्र सं0 1484 / 12–1, दिनॉक 18–11–2020 एवं पत्र सं0 5178 / 12–1, दिनॉक 01–06–2023 द्वारा आपको डिमांड नोट की धनराशि एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। परन्तु आपके द्वारा आतिथि तक डिमांड नोट की धनराशि तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या ऑन लाईन अपलोड एवं 05 हार्ड प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की गई है। प्रमुख वन संरक्षक, महोदय उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं0–1191 / 3–5–2, दिनांक 26.03.2025 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 की निर्धारित दरों पर रोड साईड वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि एवं एन0पी0वी0 की धनराशि का संशोधित डिमाण्ड नोट आपको पुनः निम्न प्रकार से प्रेषित किया जा रहा हैः–

1– प्रभावित होने वाले वृक्षों के सापेक्ष 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु धनराशि का विवरण–

आवेदित भूमि का क्षेत्रफल	–	0.812 है0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेत दुगुनी भूमि का क्षेत्रफल	–	1.624 है0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति है0	–	5,43,037.00
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु देय धनराशि– 1.624 x 5,43,037.00	=	8,81,892.08
	या	8,81,892.00

(रू0 आठ लाख इक्कासी हजार आठ सौ बयानबे) मात्र

2– एन0पी0वी0 की धनराशि का भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या–5–3 / 2011–एफ0सी0, दिनांक 06–01–2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार हैः–

ईको क्लास	–	V^{th}
हरियाली का घनत्व	–	0.1
एन0पी0वी0 की दर प्रति है0	–	रू0 10,05,210.00
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	–	0.812 है0
एन0पी0वी0 की धनराशि	–	0.812 X 10,05,210.00
		= रू0 8,16,231.00

(रू0 आठ लाख सोलह हजार दो सौ ईक्कतीस) मात्र

P.T.O.

अतः आप उक्तानुसार डिमांड नोट की धनराशि मदवार जमा करने पश्चात सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रश्न एवं उत्तर में बनाकर 05 मूल हार्ड प्रतियों में इस कार्यालय प्रेषित करते हुये ऑन लाईन अपलोड की कार्यवाही पूर्ण करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(स्वप्निल अनिरूद्ध)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

पत्रांक 5168 / 12-1 ,दिनॉकित ।

प्रतिलिपिः— प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(स्वप्निल अनिरूद्ध)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।